485

संख्या– /XVI-1/16/5(52)/2015

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक, 20 फरवरी 2016**

विषय–सेब सीडलिंग की दर अनुमोदित करने एवं क्रय करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 728/उद्यान/2015–16 दिनांक 22 जनवरी 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपकी संस्तुति के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में उद्यान विभाग के अन्तर्गत सेब सीडलिंग (बीजू) की अनुमानित मात्रा 335000 रू5.30**(रू0 पांच एवं पैसे तीस मात्र)** (समस्त कर सहित) प्रति पौध की दर से मै0 खालिद मुबारक नर्सरी, ग्राम–बुडडाखे ड़ा, चिलकाना रोड़, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से वास्तविक मांग एवं उपलब्ध बजट सीमान्तर्गत, जो भी कम हो, हेतु क्रय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः–

1– राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धित संस्था द्वारा उक्त सामग्री सेब सीडलिंग (बीजू) की पौध जम्मू कश्मीर/हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों से प्राप्त कर, निर्धारित मात्रा की वास्तविक मांग के अनुसार, पूर्ण गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के मानकों के अनुसार ही विभाग को आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, विभागाध्यक्ष द्वारा उक्तवत् पुष्टि के उपरांत ही आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– सेब सीडलिंग (बीजू) की पौध मानकों के अनुरूप होने पर ही क्रय किये जाय। पौध सीडलिंग सेब के बीज से ही तैयार किया गया हो। पौधों की उम्र एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पौध बीमारी एवं कीट रहित हों, जिसका हस्तलिखित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। सीडलिंग हेयरी रूट, ऊली एफिड, जड़गलन, स्कैब एवं सैन्जोंस स्केल से पूर्णतया मुक्त होनी चाहिए। सेब सीडलिंग बीजू पौधों की लम्बाई कालर से लगभग 1.5 फीट से 2 फीट की होनी चाहिए तथा पौधों की मोटाई (Diameter) 9 से 10 एम0एम0 तथा पेन्सिल की मोटाई से कम नहीं होनी चाहिये । फल पौधों की पैकिंग 100 पौध प्रति पैक मौस घास द्वारा जड़ों को ढ़ककर बोरियों में पैक करते हुए की जायेगी। पौध नमीयुक्त हो साथ ही बोरियॉ पैक उपरान्त पानी से भीगी हों।

4– संस्था द्वारा उपलब्ध सामग्री की मात्रा का लाटवार विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित सामग्री के भण्डार में होने का सत्यापन विभागीय गठित समिति/नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा, फर्म के भंडार स्थल पर किया जायेगा। भण्डारण स्थल की

क्रमशः–2

सूचना संबंधित फर्म द्वारा दी जायेगी। मांगानुसार संस्था द्वारा सामग्री की आपूर्ति निविदा शर्तों के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी। विभाग द्वारा मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सैम्पलिंग पूरे स्टॉक की करा कर जॉच कराने के उपरांत आपूर्ति आदेश निर्गत किये जायेगें।

5– व्यय हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक–01 अप्रैल 2015, प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार क्रय प्रकिया (स्टोर पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय–व्यय सम्बन्धी नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

6– यह अनुमति केवल चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रदान की जा रही है कुल अनुमानित व्यय की सीमा जनपद अधिकारियों की वास्तविक मांग एवं उक्त सामग्री हेतु योजनाओं में नियमानुसार निर्धारित बजट उपलब्धता की सीमान्तर्गत होगी। समस्त क्रयादेश नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे, एवं सम्बन्धित द्वारा यह अधिकार प्रतिनिधानित नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वंय सुनिश्चित किया जायेगा, कि क्रयादेश के अनुसार समस्त सामग्री नियत समय पर गन्तव्य स्थान पर पहुॅचें एवं वितरित हों।

7– उक्त पौधों की आपूर्ति के पश्चात जिन लाभार्थियों/विभागीय स्थानों को उक्त सामग्री उपलब्ध करायी जाय उनके पास पौधों की जीवितता के सम्बन्ध में अनुश्रवण हेतु समय–समय पर विभागीय अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जाय। विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित समयाउपरांत अथवा उक्तविषयक अग्रेत्तर प्रस्तावों में विभागीय अधिकारियों की अनुश्रवण आख्या से अपनी संस्तुति सहित शासन को अवगत कराया जायेगा। उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाने के उपरांत ही सम्बन्धित संस्था की धरोहर धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित योजनाओं के सुसंगत मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 277 /XVI(1)/16/5(52)/2015,तद्दिनाकिंत।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।